



**पूर्वोत्तर रेलवे
(अधिसूचना)**

कार्यालय,
महाप्रबंधक (कार्मिक)
गोरखपुर- 273012

संख्या का/254/19/मुख्य विधि सहायक/VIII
सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मंडल रेल प्रबंधक
सभी मंडलेतर इकाई
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक,
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

दिनांक 16.01.2026

विषय:-मुख्य विधि सहायक (लेवल-07) में 60% विभागीय पदोन्नति कोटा के अंतर्गत चयन से भरने के सम्बन्ध में।

मुख्य विधि सहायक लेवल-07 में 60 प्रतिशत पदोन्नति कोटा के अंतर्गत कुल 03 रिक्तियों (सामान्य-02, अजजा-01) को भरने हेतु चयन कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

1. पात्रता की शर्त :- पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न विभागों (आरपीएफ/आरपीएसफ को छोड़कर) के ऐसे कार्यरत कर्मचारी जो लेवल-07 से कम वाले वेतनमान में कार्यरत गुप 'सी' (लेवल-02 से लेवल-06 तक) के पद पर अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि तक कुल (कट-आफ तिथि) 05 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो, आवेदन देने हेतु पात्र होंगे। MACPS के अंतर्गत प्राप्त ग्रेड पे/लेवल पात्रता के लिए नहीं मानी जायेगी।

2. अधिसूचना जारी होने की तिथि को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विधि स्नातक की योग्यता रखते हैं। सत्यापित योग्यता प्रमाण पत्र आवेदन के लिए संलग्न करना आवश्यक है। यह योग्यता प्रमाण पत्र सेवा अभिलेख में दर्ज होना आवश्यक है।

3. आरपीएफ/ आरपीएसफ के वे कर्मचारी उक्त चयन में सम्मिलित होने के लिए पात्र नहीं हैं।

4. उपर्युक्त चयन का पाठ्यक्रम संलग्न है :-

5. चयन की प्रक्रिया:- उपरोक्त चयन की लिखित परीक्षा रेलवे बोर्ड के आर0बी0ई0 संख्या 05/2024 एवं आर0बी0ई0 संख्या 47/2025 के अनुसार CBT/TBT के माध्यम से करायी जायेगी।

6. RBE No.196/2018 एवं महाप्रबंधक कार्मिक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के पत्र से का/254/चयन प्रश्न/ बैंक निर्देश /4/80 दिनांक 20.03.2019 के अनुसार लिखित परीक्षा में 100 अंकों का बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ 120 मिनट का प्रश्न पत्र होगा। कुल 110 प्रश्न होंगे, जिसमें से 10 प्रश्न राजभाषा नीति के होंगे जो वैकल्पिक होंगे तथा अभ्यर्थियों को कुल 110 प्रश्न में किन्हीं 100 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंकों की कटौती की जाएगी। उपरोक्त चयन की कोई अनुपस्थिति लिखित परीक्षा नहीं होगी।

7. चयन में उम्मीदवारों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अर्हक अंकों, मौखिक परीक्षा और सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर अंक को जोड़ते हुए मेरिट के आधार पर नामिका बनायीं जाएगी।

8. लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा।

9. आईआरईएम का कोई अन्य प्रावधान या रेलवे बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर कैडर पद पर चयन के नियम और अन्य शर्तों के सम्बन्ध में यदि इस अधिसूचना में अनजाने में छूट गए हैं उन्हें वैध और सक्रिय माना जायेगा। इस अधिसूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि, चुक अथवा संशोधन की आवश्यकता होने की स्थिति में, प्रशासन को शुद्धि पत्र (CORRIGENDUM) जारी करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, जो इस अधिसूचना का अभिन्न अंग माना जायेगा तथा सभी संबंधितों पर मान्य एवं बाध्यकारी होगा।

10. लिखित परीक्षा में अर्हक अंक 60% हैं। हालाँकि, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी मौजूदा नियमों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को 10% की छूट के पात्र हैं।

11. चयनित कर्मचारी को प्रशासनिक हित में पूर्वोत्तर रेलवे के किसी भी मंडल या मुख्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है।

12. केवल उन्ही कर्मचारियों को मौखिक परीक्षा में बुलाया जाएगा जो लिखित परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अर्हक अंक प्राप्त किया गया है तथा ऐसे कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों की जाँच की जाएगी।

क्रमशः 2
SP01/14/1/1

13. इच्छुक उम्मीदवार संलग्न अनुबंध । के प्रारूप में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं आवेदक को पात्रता की शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरना चाहिए और अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से भरे हुए आवेदन पत्र को संलग्नक के साथ जमा करना चाहिए। अधूरा आवेदन पत्र को खारिज कर दिया जाएगा। जो कर्मचारी अलग-अलग यूनिट में काम कर रहे हैं, वे अन्य यूनिट में लियन रखते हुए अपना आवेदन लियन यूनिट के सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से अग्रेषित करें। आवेदन कर्ता द्वारा किसी भी प्रकार के गलत / भ्रामिक सूचना देने पर अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

14. आवेदक द्वारा अपने नियंत्रक अधिकारी के समक्ष आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10.02.2026 है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

15. नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को मंडल मुख्यालय से संबंधित कार्मिक/ अधिकारी के पाम दिनांक 12.02.2026 तक अवश्य भेज दिया जाय।

16. कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों में दिए गये विवरण का सत्यापन (उनके सेवा अभिलेखों में दर्ज विवरण के अनुसार) करने के उपरांत दिनांक 14.02.2026 तक या उससे पहले प्रमुकाधि कार्यालय गोरखपुर को कवरिंग लेटर और समुचित विवरण (पात्र/अपात्र अलग से) के साथ एक बंच में प्रेषित करें।

17. यदि कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो दिनांक 14.02.2026 तक संबंधित कार्मिक अधिकारी द्वारा प्रमुकाधि कार्यालय को "शून्य" रिपोर्ट भेजी जाए।

18. आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति अवश्य संलग्न किया जाए अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा ऐसे आवेदन को सम्बंधित इकाई द्वारा अग्रसारित न किया जाए।

19. इस अधिसूचना का कर्मचारियों में व्यापक प्रचार - प्रसार किया जाय तथा इसकी एक प्रति सूचना पट्ट पर अवश्य चस्पा करा दिया जाए।

20. उपरोक्त चयन की कोई अनुपस्थिति लिखित परीक्षा नहीं होगी। अधूरे एवं त्रुटीपूर्ण तथा सम्बंधित नियंत्रक राजपत्रित अधिकारी से बिना अग्रसारित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। कर्मचारी इसे लिखित परीक्षा की तैयारी की सूचना समझें। कभी भी अल्प समय की सूचना पर लिखित परीक्षा (CBT/TBT) के माध्यम से सम्पन्न करायी जा सकती है।

21. किसी भी अद्यतन के लिए नियमित रूप से देखी जाने वाली वेबसाइट:-

(<https://ner.indianrailways.gov.in/>)

उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्नक आवेदन पत्र का प्रोफोर्मा एवं पाठ्यक्रम।

(गोपाल प्रसाद गुप्ता)

वकाधि/मुख्यालय

कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महामंत्री/मैस कांग्रेस, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर।
2. महामंत्री/एससी/एसटी/एसोसिएशन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/ एसोसिएशन पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर।
3. सभी मुख्य कार्याधि, प्रमुकाधि कार्यालय पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर।
4. मुख्य कार्याधि, MPP कृपया पूर्वोत्तर रेलवे की वेब साइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. अन्य प्रति।
6. सूचना पट्ट।

कृते महाप्रबंधक/कार्मिक



कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर-273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

क्रमांक:- 161

File No: NER-HQ0PERS(POLI)/132/2025-O/o SPO/HQ/HQ/NER(Computer No: 140977) दिनांक: 10/9/2025

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

पूर्वोत्तर रेलवे

विषय :- CHIEF LAW ASSISTANT (विधि विभाग) के पद पर चयन हेतु पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- महाप्रबन्धक/कार्मिक/गोरखपुर का पत्र संख्या ई/2025/सर्कुलर/चार दिनांक 25.06.2025

.....

विषयगत मामले में CHIEF LAW ASSISTANT (विधि विभाग) विभाग के विभिन्न पदों पर चयन हेतु निम्नलिखित पाठ्यक्रम आवश्यक कार्रवाई हेतु जारी किया जा रहा है-

Sr No.	Designation
1	CHIEF LAW ASSISTANT

अतः उक्त मामले में तदनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

उपरोक्त पाठ्यक्रम पर अपर महाप्रबन्धक का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्नक/यथोपरि

Digitally Signed by Vinod

Kumar Dwivedi

Date: 24-09-2025 14:22:34

Reason: Approved (सचिव/अपर महाप्रबन्धक)

उपमुकाधि/मुख्यालय
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

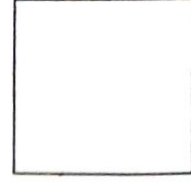
- 1) महामंत्री/एन.ई.रेलवे मेन्स कांग्रेस/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर
- 2) महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर
- 3) पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर
- 4) महामंत्री/एस.सी./एस.टी. एसोसियेशन/गोरखपुर

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

Syllabus for CLA

1. Constitution of India (Article-14,16,32,226,227,285,309,310,311)
2. Civil Procedure Code-1908
3. Indian Railway Act, 1989
4. Indian Contract Act, 1872
5. Limitation Act, 1963 (Section 5 to 12)
6. Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971
7. Consumer Protection Act, 2019
8. Arbitration and Conciliation Act, 1996
9. Land Acquisition Act, 2013
10. Central Administrative Tribunal Act, 1985
11. Railway Claims Tribunal Act, 1987
12. Labour Law
 - i. Workman Compensation Act, 1923
 - ii. Industrial Dispute Act
 - iii. Minimum Wages Act
13. Railway Property (unlawful possession) Act, 1966
14. Official Language (Rajbhasha)
15. Right to information Act, 2005
16. Railway Service Disciplinary & Appeal) Rule, 1968
17. Railway Service Conduct Rule, 1966
18. Establishment Rules
19. Recent updates on legal issue and recent citation of Hon'ble Court.

कार्यालय महाप्रबंधक (कार्मिक)
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर ।



(द्वारा उचित माध्यम)

विषय :- मुख्य विधि सहायक लेवल-07 में 60% विभागीय पदोन्नति कोटे के अंतर्गत चयन हेतु आवेदन पत्र।

सन्दर्भ:- महाप्रबंधक/कार्मिक, गोरखपुर का अधिसूचना संख्या का /254/19/ मुख्य विधि सहायक/VIII
दिनांक 16.01.2026

महोदय ,

प्रार्थी विषयांकित पद के चयन में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र निम्नवत प्रस्तुत करता हूँ :-

1. नाम
2. पदनाम
3. पिता का नाम
4. नियुक्ति तिथि नियुक्ति का पद/लेवल
5. लेवल-2 से लेवल-6 तक में नियमित पदस्थापना/पदोन्नति की तिथि.....लेवल.....
6. वर्तमान पद..... वर्तमान पद पर पदोन्नति की तिथि.....
7. जन्मतिथि
8. स्थाई/अस्थायी
9. समुदाय यदि कर्मचारी अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के है (यदि हा तो प्रमाण पत्र संलग्न करे)
10. शैक्षणिक योग्यता..... (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे)
11. अन्य विवरण यदि कोई हो
12. सभी प्रमाण पत्रों को स्वतः सत्यापित छायाप्रति अवश्य संलग्न करे ।
13. मोबाइल नंबर
14. भविष्य निधि सं०.....
15. HRMS ID.....
16. EMAIL ID.....
17. AADHAR NUMBER.....

स्थान

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि दिए गये उपरोक्त सूचना/विवरण सही है। उक्त सूचना /विवरण में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उक्त चयन हेतु मेरी अभ्यर्थिता निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण कर्मचारी के सेवा अभिलेख से जाँच कर लिए गये है, जो सही है।

स्थान

दिनांक

नियंत्रक अधिकारी /कार्मिक अधिकारी
का पदनाम मुहर सहित